



सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-374/2022

दिनांक- 09-नवम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- महाराजगंज

लड़की को अगवा करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में) – दिनांक 03.11.22 को वादी थाना महाराजगंज ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि विपक्षी अजमल खान उर्फ गुड्डू पुत्र रमजान खान निवासी ग्राम सोन बुजुर्ग पो0 नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के द्वारा पीड़िता/लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 417/22 धारा 363,366 IPC पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

2. गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक- 09.11.22 को उ0नि0 आशुतोष मिश्रा मय राह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अजमल खान उर्फ गुड्डू पुत्र रमजान खान निवासी ग्राम सोन बुजुर्ग पो0 नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को शिवपुर बाजार के पास से समय करीब 10.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया, गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 417/22 धारा 363,366 भादवि थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

अजमल खान उर्फ गुड्डू पुत्र रमजान खान निवासी ग्राम सोन बुजुर्ग पो0 नैनीजोर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- प्रभारी उ0नि0 श्री आशुतोष मिश्रा के नेतृत्व में उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय राह हे0का0 राजेश कुमार व का0 आशुतोष वर्मा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

थाना दीदारगंज

चोरी की घटना का अनावरण, चोरी गये 02 बिजली मोटर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण- दिनांक 6/7-11.2022 की रात्री मे मो0 अकमल उर्फ गुड्डू पुत्र जावेद ग्राम महुवारा थाना दीदारगंज आजमगढ़ के मत्स्य पालन पोखरे पर बने कमरे का ताला तोडकर अज्ञात चोरो द्वारा 2 अदद मोटर चोरी कर लिया गया,के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 279/22 धारा 457,380 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 9.11.2022 प्रभारी निरीक्षक दीदारगंज विजय प्रताप सिंह मय राहियान को सूचना मिली दिनांक 6/7-11-2022 की रात ग्राम महुवारा कला मे मो0 अकमल उर्फ गुड्डू के मछली पालन के पोखरे से चोरी गये दो अदद मोटर को दो व्यक्ति मोटर साइकिल से बेचने के लिये सरायमीर जाने वाले है जो SKS ईट भट्टा सलाउद्दीनपुर मोड पुष्पनगर के पास खडे है , इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक मय राह SKS ईट भट्टा के पास पहुंचे तो भट्टे से थोडा पहले पोखरे के पास दो व्यक्ति एक मोटर साइकिल पर एक मोटर बीच मे रखकर खडे हुये है जो अचानक पुलिस वालो को देखकर सकपकाकर भागना चाहे कि संदेश होने पर पुलिस वालो द्वारा वही घेरकर दोनो व्यक्तियों को पकड लिया गया पकडे गये दोनो व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम 1.बब्लू राजभर पुत्र दयाराम राजभर ग्राम महुवाराखुर्द थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष तथा दूसरे ने अपना नाम चन्द्रेश राजभर पुत्र इन्द्रजीत राजभर ग्राम महुवाराकला थाना दीदारगंज आजमगढ़ बताया तथा गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि साहब दिनांक 7-11.22 को दोनो लोगो व इन्द्रेश राजभर पुत्र रुदल राजभर ग्राम महुवाराखुर्द थाना दीदारगंज आजमगढ़ मिलकर अकमल उर्फ गुड्डू पुत्र जावेद ग्राम महुवारा के मछली पालन पोखरे से कमरे का ताला तोडकर 2 मोटर चुराये थे जिनको पास के ही झाड मे छुपाये थे जिसको सरायमीर बेचने जाने के लिये लोग इन्द्रेश राजभर जो टूली लाने गया है का आने का इन्तजार कर रहे थे कि आफ लोगो ने पकड लिया गया पकडे गये व्यक्तियों के द्वारा पास के ही झाड से एक अदद मोटर बरामद कराया गया। पकडे गये व्यक्ति बब्लू राजभर पुत्र दयाराम राजभर ग्राम महुवाराखुर्द थाना दीदारगंज आजमगढ़ 2. चन्द्रेश राजभर पुत्र इन्द्रजीत राजभर ग्राम महुवारा कला थाना दीदारगंज आजमगढ़ को समय 8.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। व गिरफ्तारी व बरामदगी

के आधार पर मु0अ0स0 279/22 धारा 457,380 भादवि व धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग— मु0अ0स0 279/22 धारा 457,380,411 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता – 1.बल्लू राजभर पुत्र दयाराम राजभर ग्राम महुवाराखुर्द थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

2. चन्द्रेश राजभर पुत्र इन्द्रजीत राजभर ग्राम महुवाराकला थाना दीदारगंज आजमगढ़ बताया उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 279/22 धारा 457,380,411 भादवि

घटनास्थल- SKS ईट भट्टा सलाउद्दीनपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़

बरामदगी- 2 अदद बिजली मोटर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह थाना दीदारगंज आजमगढ़
2. उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव थाना दीदारगंज आजमगढ़
3. का0 उमाशंकर पटेल, थाना दीदारगंज आजमगढ़
4. का0 उपेन्द्र कुमार थाना दीदारगंज आजमगढ़
5. का0 रामचन्द्र थाना दीदारगंज आजमगढ़
6. का0 बजरंगी यादव थाना दीदारगंज आजमगढ़

थाना जीयनपुर

लड़की को बहला-फूसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण - दिनांक 28/06/2022 को वादिनी मुकदमा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ने थाना स्थानीय पर शिकायत की कि वादिनी की लड़की को अभियुक्त प्रिन्स सिंह द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बंध में मु0अ0स0 419/2022 धारा 363/366 भादवि0 पंजीकृत है जिसकी विवेचना व.उ.नि. देवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा की जा रही है। विवेचना के क्रम में -

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक 09/11/2022 को व.उ.नि. देवेन्द्र कुमार सिंह मय राह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रिन्स सिंह पुत्र सुवाष सिंह निवासी बासडीह पोस्टर मदारपुर थाना भेलदी जिला सारण छपरा विहार हाल पता डिगयाना आश्रम तहसील जम्बू दक्षिण जिला जम्बू को रजादेपुर के पास से समय करीब 09.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0स0 419/2022 धारा 363/366 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त -

प्रिन्स सिंह पुत्र सुवाष सिंह निवासी बासडीह पोस्टर मदारपुर थाना भेलदी जिला सारण छपरा विहार हाल पता डिगयाना आश्रम तहसील जम्बू दक्षिण जिला जम्बू।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1.व.उ.नि. देवेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह थाना जीयनपुर, आजमगढ़।

थाना- निजामाबाद

छेड़खानी के अभियोग में एक गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दिनांक 03.11.2022 को वादिनी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के द्वारा उसकी पुत्री के साथ दिनांक 01.11.2022 को खेत में से घास ले जाते समय विपक्षी अमित यादव पुत्र सिकरम यादव ग्राम मीरपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा जबरदस्ती खेत में ले जाने व छेड़खानी करने व वादिनी द्वारा शिकायत लेकर आरोपी के घर जाने पर विपक्षीगण द्वारा गाली गुप्ता देने व मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0

466/22 धारा 452/323/504/506/354/354(घ) भादवि बनाम 1. अमित यादव 2. अंकित यादव 3. अक्कीश यादव पुत्रगण सिकरम यादव 4. मीरा यादव पत्नी सिकरम यादव निवासी मीरपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ का अभियोग पंजीकृत कराया गया। बाद विवेचना धारा 7/8 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

2. गिरफ्तारी का विवरण – प्राप्त सूचना के अनुसार उ0नि0 कुलदीप सिंह मय राहीयान के मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त अमित यादव पुत्र सिकरम यादव ग्राम मीरपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को परसहां रेलवे क्रासिंग के पास से समय करीब **पंजीकृत अभियोग** - मु0अ0सं0 466/22 धारा 452/323/504/506/354/354(घ) भादवि व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास – उपरोक्त अभियोग

गिरफ्तार अभियुक्त- अमित यादव पुत्र सिकरम यादव ग्राम मीरपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 कुलदीप सिंह मय हमराह थाना निजामाबाद आजमगढ़

थाना जहानागंज

मारपीट में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

वादी श्री सोनु यादव पुत्र राम शरीफ यादव निवासी ग्राम डिहा थाना जहानागंज आजमगढ़ थाना उपस्थित आये और सूचना दिये कि मेरे पास निकान कम्पनी का डिजिटल कैमरा D3400N1510 माडल न0 था जो कमरा (रूम) किराये पर भी देता था मेरा जानने वाला विपिन चौहान पुत्र रामनाथ चौहान निवासी जगदीशपुर थाना तरवा आजमगढ़ मेरा कैमरा 4 माह पूर्व चुरा ले गया था जिसे मैं काफी दिन से तलास कर रहा था दिनांक 8/11/22 को कैमरा सहित पकड कर थाने लाया हूँ जिसके लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 448/22 धारा 379/411 भादवि बनाम विपिन चौहान पुत्र रामनाथ चौहान निवासी जगदीशपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष का पंजीकृत कर नियमानुसार अभियुक्त को उ0नि0 विकासचन्द्र पाण्डेय व का0 सन्तु साहू द्वारा दिनांक 08.11.2022 को समय 17.21 बजे अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के पिता रामनाथ सिंह पुत्र शिवपूजन चौहान के मो0न0 7398159012 पर दी गयी।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 446/22 धारा 323/324/504/506/308/34 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 447/22 धारा 323, 504, 506, 324, 308, 34 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभियुक्तगण 1. राजु पुत्र सितई, 2. विनोद पुत्र शोभा, 3. सितई पुत्र जगदेव उर्फ गूंगा 4. रोहित पुत्र सल्पन, 5. बृजनाथ पुत्र कल्पू निवासीगण डिहा थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1- उ0नि0 विकासचन्द्र पाण्डेय थाना जहानागंज आजमगढ़

2- का0 सन्तु साहू थाना जहानागंज आजमगढ़

3- का0 जितेन्द्र यादव थाना जहानागंज आजमगढ़

4- का0 संतोष गुप्ता थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना जहानागंज

किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

वादीनी उम्र 17 वर्ष द्वारा थाना जहानागंज पर तहरीर दिया गया कि करीब 2 वर्ष पूर्व से शादी का झांसा देकर शारिरिक सम्बन्ध बनाया गया जिससे करीब 1 माह पहले को लड़का पैदा होने व शादी से मना किया गया, के संबन्ध में मु0अ0सं0 449/22 धारा

376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम 1.सुनील पुत्र रामदास निवासी ग्राम एकौना चक्रपानपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष के पंजीकृत किया गया ।

विवेचना के क्रम में सूत्रों से सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील पुत्र रामदास निवासी ग्राम एकौना चक्रपानपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को परदेशी तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 449/22 धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.सुनील पुत्र रामदास निवासी ग्राम एकौना चक्रपानपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1- नि0 श्री घनश्याम यादव हे0 का0 प्रमोद यादव थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना मेंहनगर

82 Cr.PC की नोटिस फरार अभियुक्त के घर चस्पा

आज दिनांक 09.11.22 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 186/2022 धारा 409 IPC से सम्बन्धित फरार चल रहे अभियुक्त सूरज कुमार (पूर्व सचिव) ग्रा0वि0अ0 वि0ख0 मेहनगर पुत्र श्रीपत राम मोहल्ला हरवंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ वर्तमान नियुक्ति विकास खण्ड ठेकमा के विरुद्ध जारी 82 Cr.PC की तामिला हेतु अभियुक्त उपरोक्त के घर पर दबिश दी गयी। दस्तेयाब नहीं हुए अभियुक्त काफी दिनों से फरार चल रहा है। मा. न्याया. द्वारा जारी 82 Cr.PC की नोटिस का तामिला नियमानुसार मुनादी की कार्यवाही कराते हुए उसके घर पर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की गयी। इस अवसर पर गाँव के बहुत से लोग मौजूद रहे। जिला पंचायत राज अधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय पत्रांक-2269/पं0स्था-2/2022-2023 दिनांक 04.06.2022 एवं खण्ड विकास अधिकारी मेंहनगर आजमगढ़ के पृष्ठांकन आदेश पत्रांक-269/दिनांक 08.06.2022 तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा दिनांक 02.06.2022 को ग्राम पंचायत हटवा खालसा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया निरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश मे आया कि पंचायत भवन की प्रथम किस्त 10.41 लाख जारी हुई है इस धनराशी से 5.91 लाख धनराशि सम्बन्धित सचिव व प्रधान द्वारा आहरित कर ली गयी है। मौके पर कार्य मात्र 126568 रु0 का पाया गया है। इस प्रकार धनराशी मु0 464431रु0 का गबन किया गया है। इसके लिये पूर्व प्रधान रामअवध यादव पुत्र श्री सकलदीप यादव निवासी ग्राम हटवा खालसा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ 2.पूर्व सचिव श्री सूरज कुमार पुत्र श्री श्रीपत राम मोहल्ला हरवंशपुर पोस्ट सदर थाना कोतवाली तहसील आजमगढ़ । एवं 3.श्री जयराम सिंह चौहान तत्कालीन अवर अभियन्ता ग्रामिण अभिनियंत्रण विभाग विकास खण्ड- मेंहनगर आजमगढ़ के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 409 भादवि पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है। जिसमें अभियुक्त सूरज उपरोक्त फरार चल रहा है।